रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2027] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2017/आषाढ़ 30, 1939
No. 2027] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2017/ASADHA 30, 1939

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2017

का.आ. 2285(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 26 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 787 (अ) के तहत उक्त अधिनियम की धारा 11 के उप-खण्ड (।) के प्रयोजन हेतु विशेष न्यायालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले, जयपुर को विशेष न्यायालय के बतौर अधिसूचित किया था, जिसका अधिसूचित अपराधों के विचारण के लिए कार्य क्षेत्र पूरा राजस्थान राज्य निर्धारित किया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की सिफारिश पर श्री निर्मल सिंह मेरातवाल, विशेष न्यायाधीश (सीबीआई मामले) सं.-1, जयपुर को एतद्द्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु 'विशेष न्यायाधीश' नियुक्त करते हैं।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2017

S.O. 2285(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 787 (E) dated the 26th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Special Court, Central Bureau of Investigation Cases, Jaipur as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Rajasthan, for the trial of Scheduled Offences;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of section 11 of National Investigation Agency Act, 2008 (Act 34 of 2008), the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Acting Chief Justice of Rajasthan High Court, Jodhpur, hereby appoints Shri Nirmal Singh Meratwal, Special Judge (C.B.I. cases) No. 1, Jaipur as "Special Judge" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2017

का.आ. 2286(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2215 (अ) के तहत उक्त अधिनियम की धारा 11 के उप-खण्ड (।) के प्रयोजन हेतु विशेष न्यायाधीश का विशेष न्यायालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, असम, गुवाहाटी को विशेष न्यायालय के बतौर अधिसूचित किया था, जिसका अधिसूचित अपराधों के विचारण के लिए कार्य क्षेत्र पूरा असम राज्य निर्धारित किया गया है;

और जबकि, श्री रॉबिन फुकान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिन्हें 08 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 08 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 776 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 08 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 776 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था,

माननीय मुख्य न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी की सिफारिश पर श्री महमूद अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, एतद्द्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2017

S.O. 2286(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 2215 (E) dated the 1st September, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Special Court of the Special Judge, Central Bureau of Investigation, Assam at Guwahati as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act, having jurisdiction throughout the State of Assam, for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Robin Phukan, District and Sessions Judge, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 776 (E) dated the 8th March, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 776 (E) dated the 8th March, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of The Gauhati High Court at Guwahati, hereby appoints Shri Mahmud Ahmed, District and Sessions Judge, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.07.22 17:06:41 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.